न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 53/2019

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
मिश्रीमल पुत्र रावतमल		राजस्थान सरकार
जाति जैन निवासी चौहटन		जरिये जिला रसद अधिकारी,
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.07.2019 जो विभागीय प्रकरण सं. 34/2017 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27/01/2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 34/2017 सरकार बनाम मिश्रीमल मे पारित निर्णय दिनांक 17.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट मिश्रीमल/रावतमल, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड सं. 4, 14 चौहटन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री का प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न प्राप्त, वितरण एवं शेष का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 128.95 क्विंटल गेंहू कम पाया गया। स्टॉक रजिस्टर के संधारण मे त्रुटियां एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 सितम्बर 2016 से समस्त खाद्यान्न का वितरण

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पोश मशीन से किये जाने के निर्देशों के बावजूद भी 117.90 क्विंटल गेंहू वितरण रजिस्टर से वितरण किया जाना पाया गया है। उक्त वितरण का समायोजन करने के बावजूद भी 11.05 क्विंटल गेंहू का गबन करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्ज सरकार किये जाने का आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील सं. 23/2017 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 04.02.2019 के द्वारा स्वीकार होकर प्रकरण रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि आवश्यक जांच एवं सुनवाई उपरांत पुनः नये सिरे प्रकरण का निस्तारण करें। इस पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण में नये सिरे से सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2019 के द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया तथा इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा पुनः यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 07.11.2019 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ही अपील के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम मौजा चौहटन हेतु जारी उचित मूल्य

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र संख्या 97/99 वर्श 1999 मे जारी किया गया था तथा पिछले 18 वर्षों से लगातार अपीलार्थी का कार्य संतोषप्रद पाया गया है। रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी द्वारा पूर्व में भी एकपक्षीय जांच कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये ही निरस्त कर दिया गया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के आदेश को निरस्त कर पुनः जांच एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे इसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय जारी किया गया हैं जो एक गम्भीर त्रुटि है। अपीलार्थी के विरूद्ध जिस आक्षेप के आधार पर 5 क्विटल गेंहू के संबंध मे प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना चौहटन मे धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज की गई है उस माल की बरामदगी अपीलार्थी से नही हुई थी न ही उक्त माल अपीलार्थी की दुकान से गया बल्कि राजनैतिक रंजिश के लिए अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण कर फर्द बनाई उसके बाद जिला रसद अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर पुनः जांच की गई तथा जांच अनुसार प्रत्यक्ष रूप से आक्षेपित अपराध का संबंध अपीलार्थी से होना प्रतीत नही होने के बावजूद अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनन गलत है। रेस्पोडेंट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित आरोप के संबंध मे इस न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी बिना जांच किये एक पक्षीय ही पारित किया गया है वह गलत है एवं न्यायालय के निर्देशों की सरासर अवहेलना है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय, आरबीटेट्री एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Amit
जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों को माह सितम्बर 2016 से 27 जनवरी 2017 तक आवंटित खाद्यान्न के कुल प्राप्त, वितरण एवं शेष के मिलाने मे 11.95 क्विंटल गेंहू कम पाया गया तथा राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद 117.90 क्विंटल गेंहू वितरण रजिस्टर से वितरित किया गया है जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार पोश मशीन से ही वितरण किया जाना था। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना एवं प्राप्त वितरण एवं शेष मे 11.95 क्विंटल गेंहू कम पाये जाने से गबन जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 11 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था। इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में पुनः अपीलांट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया एवं प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट ली गई जिसमें अपीलांट द्वारा राशन सामग्री का गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया है, इस आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट मिश्रीमल/रावतमल, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड सं. 4, 14 चौहटन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री का प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न प्राप्त, वितरण एवं शेष का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 128.95 क्विंटल गेंहू कम पाया गया, स्टॉक रजिस्टर के संधारण मे त्रुटियां एवं 117.90 क्विंटल गेंहू वितरण रजिस्टर से वितरण किया जाना पाया गया है जो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी मानते हुए 11.05 क्विंटल गेंहू का गबन करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्ज सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उक्त आदेश अपास्त किया गया एवं प्रकरण रेस्पोडेंट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि पुनः जांच एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें। इस पर रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किया गया एवं अपीलांट का जवाब तलब किया गया। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं। इस अपील के द्वारा अपीलांट का कथन हैं कि केवल एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जिसमें उसका नाम नहीं हैं, अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है तथा न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट के अभिकथन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता हैं कि रिमाण्ड होने के बाद दिनांक 01.04.2019 को पुनः जांच के अनुसार नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 11.04.2019 को जबाब प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर शामिल किया गया हैं। इसके उपरांत दिनांक 17.07.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट तथा पुलिस थाना चौहटन में दर्ज एफआईआर प्रकरण के अनुसार अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 10.05.2019 में वर्ष 2017 की रिपोर्ट अनुसार गबन स्पष्ट रूप से प्रमाणित माना गया हैं तथा वर्ष 2017 की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें भी खाद्य सामग्री का गबन प्रमाणित पाया गया हैं। प्रार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा जवाब पेश किया गया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है एवं जांच रिपोर्ट में भी गबन को प्रमाणित माना गया है, ऐसी स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही माना जाना संभव नहीं है। लिहाजा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर कोई आधार नहीं होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर